



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 28.09.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 28.09.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना- बकेवर

मा0 न्याया0एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त निशार खान पुत्र स्व0 इन्दाद खान निवासी हाफिज नगर कस्बा व थाना बकेवर जनपद इटावा को 02 वर्ष 07 माह 11 दिन का सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बकेवर पैरोकार, व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 07 माह 11 दिन का सश्रम कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- थाना बकेवर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 06.05.2020 को मु0अ0सं0 227/2020 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी महिला उ0नि0 प्रियांजलि सिंह के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री योगेन्द्र सिंह परिहार द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 28.09.2026 को मु0अ0सं0 227/2020 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मा0 न्याया0एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 07 माह 11 दिन का सश्रम कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. निशार खान पुत्र स्व0 इन्दाद खान निवासी हाफिज नगर कस्बा व थाना बकेवर जनपद इटावा।